REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

The Gazette of India

EXTRAORDINARY भाग II---खण्ड 3---उप-खण्ड (ii) PART II---Section 3---Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 569) नई दिल्ली, ब्रहस्पतिवार, मार्च 29, 2012/चैत्र 9, 1934 No. 569) NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 29, 2012/CHAITRA 9, 1934

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2012

का.आ. 653(अ).—अंतराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 4 के अधीन अधिसूचना सं.का.आ. 451(अ) द्वारा 2 अप्रैल, 2004 को कृष्णा जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) का गठन अंतराज्यिक कृष्णा नदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए किया गया था ;

और उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन उक्त अधिकरण से अपेक्षा की गई थी कि वह अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय 1 अप्रैल, 2007 को या उससे पूर्व प्रस्तुत करे ;

और उक्त अधिकरण ने रिपोर्ट और विनिश्चय को प्रस्तुत करने की अवधि को समय-समय पर बढ़ाने का अनुरोध किया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने, अधिसूचना सं. का.आ. 400(अ), तारीख 20 मार्च, 2007, का.आ. 414 (अ), तारीख 3 मार्च, 2008 और सं.का.आ. 2116(अ) तारीख 27 अगस्त, 2008 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय की प्रस्तुति की अवधि को 1 अप्रैल, 2009 तक के लिए बढाया था ;

और, कर्नाटक सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय से रिट याचिका (सिविल) सं 408/2008 द्वारा निवेदन किया कि वह केन्द्रीय सरकार को फरवरी या मार्च, 2006 को अधिकरण के गठन की तारीख के रूप में निश्चित करने के लिए निदेश दें ;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने 17 दिसम्बर, 2008 को मामले की सुनवाई की और निदेश दिया कि अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन कृष्णा जल विवाद अधिकरण के गठन की प्रभावी तारीख 1 फरवरी, 2006 होगी ;

और उक्त अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय की प्रस्तुति की अवधि को तद्नुसार 1 फरवरी, 2009 से एक वर्ष की और अवधि के लिए बढाने का अनुरोध किया था ;

और न्यायालय के आदेश के परिपालन में, अधिसूचना सं. का.आ. 2116(अ) तारीख 27 अगस्त, 2008 तथा उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप;धारा (2) के परतुद पर विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय पगका ने अधिसूचना सं. का.आ. 543(अ), तारीख 25 फरवरी, 2009 द्राग गिपोर्ट और विनिश्चय की प्रस्तुति की अवधि को 1 फरवरी, 2009 में प्रभावों एक वर्ष की और अवधि के लिए 31 जनवरी, 2010 तक बहाया था : और उक्त अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय को प्रस्तुत करने की अवधि को समय-समय पर पुनः बढ़ाने का अनुरोध किया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने, अधिसूचना स. का आ 212(अ), तारीख 29 जनवरी, 2010, का.आ. 2347 (अ), तारीख 28 सितम्बर, 2010 और का.आ. 2847(अ), तारीख 26 ननम्बर, 2010 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय की प्रस्तुति की अवधि को 31 दिसम्बर, 2010 तक के लिए बढाया था ;

और उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के परंतुक के अधीन रिपोर्ट और विनिश्चय 30 दिसम्बर, 2010 को प्रस्तुत कर दिया ;

और केन्द्रीय सरकार और पक्षकार राज्य आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र ने और अत में महाराष्ट्र राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा उनसे संबंधित संदर्भ उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन उक्त अधिकरण के पास तारीख 29 मार्च, 2011 को भेजे हैं।

और उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन उक्त अधिकरण द्वारा आगे की रिपोर्ट तारीख 29 मार्च 2011 से एक वर्ष को अथवा उस तारीख से पहले तक केन्द्रीय सरकार को भेजना अपेक्षित था ;

और उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के परंतुक के अधीन आगे की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि तारीख 30 सितम्बर, 2012 तक बढ़ाने के लिए फिर अनुरोध किया है ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिकरण द्वारा आगे की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को तारीख 30 सितम्बर, 2012 तक बढ़ाती है ।

[फा. सं. 17/1/2007-बे.प्र.]

जी. मोहन कुभार, अपर सचिव (जल संसाधन)

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2012

S.O. 653(E).—Whereas, the Krishna Water Disputes Tribunal (hereinafter referred to as the said Tribunal) was constituted on 2nd April, 2004 vide notification number S.O. 451(E), dated the 2nd April, 2004, under Section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State river Krishna and river valley thereof;

And whereas, the said Tribunal was required to submit its report and decision under sub-section (2) of Section 5 of the said Act on or before the 1st day of April, 2007;

And whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of report and decision for further periods from time to time;

And whereas, the Central Government vide notifications number S.O. 400(E), dated the 20th March, 2007, S.O. 414 (E), dated the 3rd March, 2008, S.O. 2116 (E), dated the 27th August, 2008 had extended the period of submission of report and decision up to 1st April, 2009;

And whereas, the Government of Karnataka approached the Hon'ble Supreme Court vide writ petition (Civil) No. 408/2008 to direct the Central Government to reckon the date of constitution of the Tribunal as February or March, 2006;

And whereas, the Honble Supreme Court heard the matter on 17th December, 2008 and directed that effective date of the constitution of the Krishna Water Disputes Tribunal under Section 3 of the said Act would be the 1st February, 2006;

And whereas, the said Tribunal had again requested to extend the period of submission of its report and decision for a further period of one year with effect from 1st February, 2009,

And whereas, after taking into consideration the Court order, the notification number S.O. 2116(E), dated the 27th August, 2008 and the proviso to sub-section (2) of Section 5 of the said Act, the Central Government vide notification number. S.O. 543 (E), dated the 25th February, 2009, extended the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from 1st February, 2009 upto 31st January, 2010; And whereas, the said Tribunal had again requested to extend the period of submission of report and decision for further periods from time to time;

And whereas, the Central Government vide notifications number S.O. 212(E), dated the 29th January, 2010, S.O. 2347(E), dated the 28th September 2010 and S.O. 2847 (E) dated the 26th November, 2010 had extended the period of submission of report and decision upto 31st December, 2010;

And whereas, the said Tribunal submitted its report and decision under sub-section (2) of Section 5 of the said Act on 30th December, 2010;

And whereas, the Central Government and the Party States of Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra have preferred their respective References, lastly by the State of Maharashtra and the Central Government to the said Tribunal under sub-section (3) of Section 5 of the said Act on 29th March, 2011.

And whereas, the said Tribunal was required to forward to the Central Government a further report under sub-section (3) of Section 5 of the said Act on or before one year from 29th March, 2011.

And whereas, the said Tribunal has again requested to extend the period of submission of further report under the proviso to sub-section (3) of Section 5 of the said Act up to 30th September, 2012;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (3) of Section 5 of the said Act, the Central Government hereby extends the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period upto 30th September, 2012.

[F. No. 17/1/2007-BM] G. MOHAN KUMAR, Addl. Secy. (WR)

3